

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

169, चितवन एस्टेट, सेक्टर गामा-२, ग्रेटर नौएडा सिटी-२०१३०८, उ०प्र०

संख्या: सम्पत्ति / पोलिसीफाईल / २०१६ / ९०

दिनांक: १५ फरवरी, २०१६

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश सं० सम्पत्ति / पोलिसीफाईल-२००२-२००३ / ३५७२ दिनांक ०६ अगस्त, २०१० में आंशिक संशोधन करते हुए कार्यालय आदेश सं० / MSD/SYSTEMS/A-1322004/68 दिनांक १५.०७.२००४ के द्वारा सामुहिक आवासीय योजना के अन्तर्गत आवंटित भूखन्ड एवं विभिन्न आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत आवंटित भूखन्डों हेतु लीजडीड एवं भवन निर्माण हेतु निर्धारित विलम्ब शुल्क से आगे की नीति एवं नई आगामी आवासीय योजनाओं हेतु नीति निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

- दिनांक ३०.०७.२०१० से पूर्व आवंटित आवासीय भूखन्डों एवं भवनों की लीजडीड कराने एवं निर्माण पूर्ण करने के पश्चात्, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में आवंटियों द्वारा निर्धारित समय सीमा से भी अधिक विलम्ब किया जाता है। विलम्ब शुल्क के प्रकरण पर यह तथ्य भी प्रकाश में आए कि लगभग सभी योजनाओं में लीज डीड / भवन निर्माण विलम्ब शुल्क की दरें जो जून / दिसम्बर २००८ में निर्धारित थी, उनका पुनरीक्षण नहीं किया गया था। अतः ऐसे सभी आवंटियों पर एकरूप विलम्ब शुल्क आरोपित करते हुए अन्तिम निर्णित विलम्ब शुल्क की दर के पश्चात् १% प्रतिमाह तत्समय प्रचालित दर पर लीजडीड एवं भवन निर्माण विलम्ब शुल्क अलग-अलग लिया जाए। पूर्व की ऐसी योजनाओं के आवंटियों को भूखण्ड संख्या आबंटन की तिथि से अधिकतम २० वर्ष तक समय विस्तरण अनुमन्य किया जायेगा एवं इसके पश्चात् आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।
- दिनांक ३०.०७.२०१० के पश्चात् किये जाने वाले समस्त आवासीय योजनाओं के आवंटनों एवं आगामी आवासीय योजनाओं में लीजडीड कराने हेतु समय का निर्धारण भूखन्ड / भवन के कब्जा की स्थिति में आने पर check list / intimation to lease deed से किया जाए। लीजडीड कराये जाने हेतु check list जारी करने की तिथि से १ वर्ष का समय दिया जाए एवं भवन निर्माण हेतु तत्पश्चात् due date of lease deed से २ वर्ष निर्धारित किया जाए। यदि तत्पश्चात् भी आवंटी निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं करता है तो लीजडीड विलम्ब शुल्क निम्नानुसार देय होगा:-

प्रथम वर्ष के लिए आवंटन मूल्य का	1%
द्वितीय वर्ष के लिए आवंटन मूल्य का	2%
तृतीय वर्ष के लिए आवंटन मूल्य का	3%
चतुर्थ पंचम एवं छठे वर्ष एवं इसके पश्चात् के प्रत्येक आगामी वर्ष के लिए तत्समय प्रचालित दर का कमशः ४%, ५%, ६% एवं तदोपरान्त तत्समय प्रचालित दर पर प्रतिवर्ष १% बढ़ाते हुए लिया जायेगा,	

परन्तु आवंटन के 10 वर्ष के पश्चात किसी भी परिस्थिति में लीजडीड निष्पादन हेतु समय विस्तरण अनुमन्य नहीं किया जायेगा एवं आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

इसी प्रकार यदि आवंटी due date of lease deed से 2 वर्ष में भवन निर्माण नहीं कराता है तो भवन निर्माण विलम्ब शुल्क निम्नानुसार देय होगा:-

प्रथम वर्ष के लिए आवंटन मूल्य का	4%
द्वितीय वर्ष के लिए आवंटन मूल्य का	6%
तृतीय वर्ष के लिए आवंटन मूल्य का	8%
चतुर्थ वर्ष एवं इसके पश्चात के प्रत्येक आगामी वर्ष के लिए तत्समय प्रचालित दर का कमशः 1% प्रतिमाह (अर्थात 12% प्रतिवर्ष) देय होगा, परन्तु आवंटन के 15 वर्ष के पश्चात किसी भी परिस्थिति में भवन निर्माण हेतु समय विस्तरण अनुमन्य नहीं किया जायेगा एवं आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।	

उक्त आदेश मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदन दिनांक 12.02.2016 के कम में जारी किया जा रहा है।

(वी.पी. सिंह)
विशेष कार्याधिकारी (सम्पत्ति)

प्रतिलिपि:

1. निजी सचिव को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ।
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (पी) / (जे) / (के) के अवलोकनार्थ।
3. उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी को अवलोकनार्थ।
4. महाप्रबन्धक(वित्त) / (नियोजन) / (परियोजना) को सूचनार्थ।
5. प्रबन्धक (मार्केटिंग) एवं प्रभारी सी0आर0सेल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. प्रबन्धक (सिस्टम) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. समस्त प्रबन्धक (सम्पत्ति) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. गार्ड फाईल।

विशेष कार्याधिकारी (सम्पत्ति)